R.M.M. Law College, Saharsa
Lecturer - Naresh ji Anand
L.L.B. Part - IInd
Paper - VIth
Environmental Law

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम - 1986

(1)
(i) यह अधिनियम - 1986 कहलायेगा।
(ii) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।
(iii) यह ऐसी तिथि को प्रभावशील होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाय तथा इस अधिनियम के उपबन्धों को विभिन्न तिथियों से तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए लागू किया जा सकेगा।

(2) परिभाषायें - इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -
(i) 'पर्यावरण' के अंतर्गत जल हवा और भूमि तथा मानवीय प्राणी, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु तथा सम्पत्ति में और उनके बीच विद्यमान अंतर्सम्बन्ध सम्मिलित है।
(ii) "पर्यावरण प्रदूषक" से ऐसा कोई ठोस द्रव या गैसीय पदार्थ अभिप्रेत है जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए अहितकर हो सकता है या जिसका अहितकर होना संभाव्य है।
(iii) "पर्यावरण प्रदूषण" से पर्यावरण प्रदूषक का विद्यमान होना अभिप्रेत है।

Scanned with CamScanner

(iv) "किसी पदार्थ के सम्बन्ध में हथालना" से अभिप्रेत है, ऐसे पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज, भण्डारण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, सम्परिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्थापन अन्तरण या वैसी ही संक्रिया।

(v) "परिसंकटमय पदार्थ" से ऐसा पदार्थ या निर्मित अभिप्रेत है जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों के या हथलाने के कारण मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीव सम्पत्ति या पर्यावरण को अपहानि कारित कर सकती है।

(vi) किसी कारखाने या परिसर के सम्बन्ध में "अधिष्ठाता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका कारखाने या काम-काज पर नियंत्रण है और किसी पदार्थ के सम्बन्ध में ऐसा व्यक्ति इसके अंतर्गत है जिसके कब्जे में वह पदार्थ है

(vii) विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

केन्द्रीय सरकार की साधारण शक्तियाँ

(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उसके संरक्षण के लिए और पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन के लिए केन्द्रीय सरकार को वे सारे उपाय करने की शक्ति होगी जो वह आवश्यक समझे।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना,

Scanned with CamScanner

ऐसे उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबन्ध में उपाय हो सकेंगे, अर्थात -

(i) राज्य सरकारों, अधिकारियों और अन्य प्राधिकारियों की -

(a) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, या

(b) इस अधिनियम के उद्देश्यों से संबन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्यवाहियों की समन्वय।

(ii) पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए राष्ट्र व्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसको निष्पादित करना;

(iii) पर्यावरण के विभिन्न आयामों के सम्बन्ध में उसकी क्वालिटी के लिए मानक अधिकथित करना;

(iv) विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सारण के मानक अधिकथित करना,

(v) उन क्षेत्रों का निर्बन्धन जिनमें कोई उद्योग संक्रियाएँ या प्रसंस्करण नहीं चलाए जाएँगे या कुछ रक्षोपायों के अधीन रहते हुए चलाए जाएँगे।

(vi) ऐसी दुर्घटनाओं के निवारण के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय अधिकथित करना जिनसे पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए उपचारी उपाय अधिकथित करना;

(vii) परिसंकटमय पदार्थों के हवालात के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय अधिकथित करना;

(viii) ऐसी विनिर्माण प्रक्रियाओं, सामग्री और

पदार्थों की परीक्षा करना जिससे पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना है;

(ix) पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं के सम्बन्ध में अन्वेषण और अनुसंधान करना और प्रायोजित करना।

(x) किसी परिसर, संयंत्र, उपस्कर, प्रक्रिया विनिर्माण या अन्य क्रियाकलाप, सामग्री या पदार्थों का निरीक्षण करना और ऐसे प्राधिकरणों, अधिकारियों या व्यक्तियों को आदेश द्वारा ऐसे निर्देश देना जो वह पर्यावरण प्रदूषण के निवारण नियंत्रण और उपशमन के लिए कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे।

(xi) इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये जाने वाले कृत्यों के पालन के लिए पर्यावरणीय प्रयोगशाला तथा संस्थानों की स्थापना करना अथवा मान्यता प्रदान करना तथा उनका प्रचार प्रसार करना।

(xii) पर्यावरणीय प्रदूषण से जुड़े विषयों के सम्बन्ध में सूचनाएँ संग्रहित करना तथा उनका प्रचार प्रसार करना;

(xiii) इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रभावी क्रियान्वयन करना हेतु अन्य वे सारे विषय जिन्हें केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

(3) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यदि केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा किया जाना आवश्यक है तो वह शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार की ऐसी शक्तियों के प्रयोग तथा कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन हेतु और

Scanned with CamScanner

उपधारा (2) में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन रहते हुए, उपाय करने के लिए किसी भी ऐसे नाम से जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी प्राधिकरण अथवा प्राधिकरणों का गठन कर सकेगी और ऐसा प्राधिकरण ऐसे उपाय करने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा मानो ऐसे उपाय करने के लिए तथा कथित के प्रयोग तथा कृत्यों के निर्वहन के लिए वे इस अधिनियम द्वारा सशक्त किए गए हैं।